... प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी श्योपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऐतराज दिनांक 25.02.2021 को प्राप्त फर्द मौका का खारिज किया जाता है प्रार्थीगण सुवालाल आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 846 मे आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 845 में से तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 25.02.2021 प्राप्त फर्द मौका के सलंग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदययुपरवाटी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका निरिक्षण दिनांक 16.04.2021 मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner